दिनांक–16.01.2023 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्री अशर्फी नन्द प्रसाद, संयोजक, भोजन का अधिकार, राँची।
5. श्री बलराम।
6. सुश्री/श्रीमती सुचीता

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई।

- आज दिनांक–16.01.2023 को आयोग के सभाकक्ष में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि श्री बलराम, श्री अशर्फी नन्द प्रसाद, सुश्री/श्रीमती सुचीता एवं उनके सहयोगी के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव उपस्थित थे। इस बैठक में श्री बलराम द्वारा पहला सुझाव यह दिया गया कि आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिये राशन कार्ड को एक अहर्त्ता के तौर पर रखा गया है। इसलिये काफी ऐसे लोग जो राशन कार्ड प्राप्त करने की अहर्त्ता पूरी नहीं करते हैं। वे सिर्फ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये किसी भी उचित–अनुचित तरीके के माध्यम से राशन कार्ड बना रहे हैं। जिसका परिणाम यह होता रहा है कि योग्य लाभुक राशन कार्ड बनावने से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार से इस आशय का अनुरोध किया जाय कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये राशन कार्ड की अहर्त्ता समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- श्री अशर्फी नन्द प्रसाद ने सुझाव दिया कि चूंकि 01 जनवरी, 2023 से मुफ्त राशन देने की योजना प्रारंभ कर दी गई है, ऐसे में राशन डीलर को कमीशन दिये जाने सम्बन्धी आदेश आमजन के जानकारी में लाया जाना चाहिए, अन्यथा अनाज की चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- श्री अशर्फी नन्द प्रसाद ने आयोग को यह भी सलाह दी है कि पंचायत स्तर पर निगरानी समिति की पूरी विवरणी राशन डीलर के दुकान के बाहर Display करना अनिवार्य कर देना चाहिए। श्री अशर्फी ने एक सलाह यह भी दी कि निगरानी समिति में जहाँ ग्राम प्रधान हैं, वहाँ उन्हें भी निगरानी समिति में शामिल करना चाहिए। इसके अलावे यह सलाह भी दी गई कि पूर्व में जो निगरानी समिति का गठन हुआ था, उसके दुबारा प्रभावी करने में विचार करना

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

चाहिए क्योंकि नये निगरानी समिति में मुखिया को छोड़ शेष सभी सरकार से जुड़े कर्मी है, जबकि निगरानी समिति कारगार तभी हो सकता है, जब निष्पक्ष लोगों को इसमें शामिल किया जाय।

- श्री बलराम ने एक सुझाव यह भी दिया कि MDM एवं ICDS से सम्बन्धित योजनाओं की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह अभी निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी दिख रहा है। श्री बलराम द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विद्यालयों में MDM के मेन्यू का Display जहाँ था वहाँ से कई जगह मिट चुका है। नये सिरे से हर विद्यालयों में Display Board लिखा होना चाहिए।
- श्री बलराम ने आयोग को यह सलाह भी दी है कि MDM एवं ICDS की नियमावली को और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।
- श्री अशर्फी ने आयोग से यह आग्रह भी किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित सभी योजनाओं से सम्बन्धित सभी Circular आयोग को अपनी वेबसाइट में डाल देना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दुविधा की स्थिति में सरकार के Circular का अध्ययन कर अपनी दुविधा खत्म कर सके।
- श्री बलराम ने आयोग को यह सलाह दी है कि PVTG (आदिम जनजाति) के लोगों को PVTG के वर्ग में आने के लिये जाति प्रमाण–पत्र मांगे जाते हैं एवं जाति प्रमाण–पत्र बनाने के लिये उनसे खतियान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें आदिम जनजाति के लोगों के पास खतियान के दस्तावेज नहीं होते हैं। जिस वजह से उन्हें आदिम जनजाति समूह में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में सलाह दी गई कि ग्राम सभा को ऐसे नाम की अनुशंसा करने का अधिकार दिया जाय। साथ ही जिन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत् जमीन का पट्टा दिया गया है, उस पट्टे के आधार पर भी जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय, ताकि PVTG वर्ग में शामिल किया जा सके।
- वर्तमान में आयोग द्वारा TVC एवं अखबारों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उपस्थित लोगों द्वारा आयोग के इस पहल की सराहना की गई। साथ ही निगरानी समिति एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न कोष का भी प्रचार–प्रसार कराने का सुझाव दिया गया।
- बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा निगरानी समिति के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य को नहीं होने की बात कही गई। बताया गया कि इन्हें निगरानी समिति के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस क्रम में आयोग के

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

अध्यक्ष एवं सदस्य के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वर्तमान में पंचायत स्तर एवं जनवितरण प्रणाली दुकान स्तर पर निगरानी समिति के जितने सदस्य हैं, उन सभी को पत्र के माध्यम से उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाय।

- श्री बलराम द्वारा सलाह दी गई कि जिला स्तर पर आयोग के कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया जाय, ताकि सामाजिक संस्थाएँ जनसुनवाई का आयोजन कर स्थानीय लोगों में प्रचार–प्रसार कर पाए। आयोग श्री बलराम के इस सुझाव से सहमत है एवं उन्हें इस आशय का लिखित रूप–रेखा आयोग के समक्ष भेजने का आग्रह किया।
- श्री बलराम ने एक सलाह यह भी दी है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिये जो राशन कार्ड के आवंटन की संख्या निर्धारित की है, वह वर्ष–2011 की जनसंख्या के आधार पर की है। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित हैं। अतः उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार के साथ पत्राचार करना चाहिए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

20/01/2013

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Chairman Sir new\Meeting Proceeding.docx3

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261